न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 200 / 2025(GCMS : 2025/304)

India Shelter Finance Corporation Limited Registered & Corporate Office Address India Shelter Finance Corporation Limited 6th Floor, Plot No. 15, Institutional Area, Sector 44, Gurugram Haryana-122002 **Branch Office Address :** India Shelter Finance Corporation Limited, No. 1, 1st Floor, Block G, Gurudwara Road, Near Nanak Darbar,G Block Sri Ganganagar Rajasthan - 335001 Through Authorized officer

बनाम

1. **Mrs. Gurjeet Kaur** W/o Mr. Gurdeep singh **Address** Chak 8 BGD, GP 8 BGD (Patta No. 18), Tehsil Vijaynagar, Dist.-Anupgarh, Rajasthan 335704
2. **Mr. Gurdeep Singh Address** Surjansar Bhopalpura, G.P. 1 LM, Sriganganagar, Rajasthan-335704
3. **Mr. Bhalinder Singh Brar Adderss** Chak 8 BGD, GP 8 BGD (Patta No. 18), Tehsil Vijaynagar, Dist.-Anupgarh, Rajasthan – 335704
4. **Mr. Balinder Singh Address** Chak 8 BGD, GP 8 BGD (Patta No. 18), Tehsil Vijaynagar, Dist.-Anupgarh, Rajasthan – 335704

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.09.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक / कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री दलीप कुमार गोदारा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आरित्तयों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण गुरजीत कौर, गुरदीप सिंह, भलिन्द्र सिंह बराड़ एवं बलिन्द्र सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 20,68,700 / – रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 09.09.2023 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 10.01.2025 को 22,63,846 / – रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी गुरदीप सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 18, वार्ड संख्या 04, ग्राम पंचायत 8 बीजीडी–ए, तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 98 गुणा 67 यानी 656.00 वर्गफीट है।(उसकी चारो सीमाएं : उत्तर में – गिरदावरी देवी, दक्षिण में – सड़क, पूर्व में – बीरबल एवं पश्चिम में –रास्ता है।),** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया [illegible] कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण गुरजीत [illegible] गुरदीप सिंह, भलिन्द्र सिंह बराड़ (Bhalinder Singh Brar) एवं बलिन्द्र सिंह (Balinder Singh)** को ऋण सुविधा के रूप में 20,68,700 / – रूपये **([illegible]रे रूपये बीस लाख अडसठ हजार सात सौ मात्र) की स्वीकृति दिनांक 09.09.2023 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गुरदीप सिंह ने अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 18, वार्ड संख्या 04, ग्राम पंचायत 8 बीजीडी–ए, तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 98 गुणा 67 यानी 656.00 वर्गफीट है।(उसकी चारो सीमाएं : उत्तर में – गिरदावरी देवी, दक्षिण में – सड़क, पूर्व में – बीरबल एवं पश्चिम में –रास्ता है।), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 10.01.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी गुरदीप सिंह की अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 18, वार्ड संख्या 04, ग्राम पंचायत 8 बीजीडी–ए, तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 98 गुणा 67 यानी 656.00 वर्गफीट है।(उसकी चारो सीमाएं : उत्तर में – गिरदावरी देवी, दक्षिण में – सड़क, पूर्व में – बीरबल एवं पश्चिम में –रास्ता है।), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:47 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 14.01.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 17.01.2025 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी गुरदीप सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी गुरदीप सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 18, वार्ड संख्या 04, ग्राम पंचायत 8 बीजीडी–ए, तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 98 गुणा 67 यानी 656.00 वर्गफीट है।(उसकी चारो सीमाएं : उत्तर में – गिरदावरी देवी, दक्षिण में – सड़क, पूर्व में – बीरबल एवं पश्चिम में –रास्ता है।) का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:47 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 01.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर